

1

ORDER SHEET

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

Date of
order of
Proceeding

२० दस २०१६

Order or Proceeding in the Court of Presiding Officer

Case No.

६०० २४३/१६

Signature of
Parties of
pleaders where
Necessary

३/१०/१६

आज आरक्षी केन्द्र के उपनिरीक्षक / सहायक
उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक सिद्धिपति सिंह
को ४९५ द्वारा थाना प्रमारी की ओर से अपराध
को अंतर्गत धारा ३४ अधिनियम के अधीन दण्डनीय
भा०द०स० / अधिनियम के विरुद्ध अभियोग
अपराध के संबंध में अभियुक्त / अनियुक्तगण
पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ० उप०।

२४३२२५

अभियुक्त / अभियुक्तगण अशदीश उर्फ नोबु डी०५ राय

१६६३६ निवासी / निवासिगण २९ माल

थाना ६४३२५ जिला सप्तकुंज राज्य मणिपुर
उपस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण को ओर से अधिवक्ता
श्री मेमोरेण्डम / वकालतनामा प्रस्तुत
किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टियों अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भा०द०स० / ३४ अधिनियम के अधीन कायंवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अनियुक्तगण के विरुद्ध धारा १९०-(१) द०प्र०स० के अधीन नज्ञान विद्यमान का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन अदालत के अंतर्गत ६०० २४३/१६ दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण अशदीश उर्फ नोबु डी०५ राय के अधीन प्रावधानानुसार प्रकाश में अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के लिए निश्चलक दिवस

दृष्टि में आने पर अभियुक्तगण को न्याय प्रदान करने के लिए निर्णय किया गया।

अशदीश

Date of
Order or
proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer


चूंकि मामला राक्षित विचारणीय है। अतः राक्षित विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 34 भा0द0स0/ अभिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्ति की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति 8 रुपये राजस्वात किये जायें। संपत्ति 4200 रुपये मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।


Anurag Gupta

Judicial Magistrate First class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 5000 रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 5625 रसीद क0 19 दी गई। अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुगमन हो।

अगदीशानि